

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 668 सन 2021

अनवान :-

1. भजनलाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भागवन्ती पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3. निर्मला पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4. रानी पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
6. कृष्णा पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 18.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 135/122 की कुल 1.7710हैक में से 443/1771 हिस्सा, खाता संख्या 136/121 की कुल 1.4150हैक एवं चक 1 केएसएन के खाता संख्या 74/91 की कुल 0.6960हैक व चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 130/26 की कुल 1.8650हैक व चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 169/165 की कुल 12.1440हैक में से 1/6 हिस्सा, व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 144/237 की कुल 0.5060हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकुमार पुत्र रतिराम के नाम से दर्ज है।


वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकुमार पुत्र रतिराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है रामकुमार पुत्र रतिराम का देहान्त हो चुका है रामकुमार पुत्र रतिराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो रामकुमार पुत्र रतिराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादी की माता/ बहने है एवं रामकुमार पुत्र रतिराम की पत्नी/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रामकुमार पुत्र रतिराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि रामकुमार पुत्र रतिराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है रामकुमार पुत्र रतिराम का देहान्त हो चुका है रामकुमार पुत्र रतिराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो रामकुमार पुत्र रतिराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 135/122 की कुल 1.7710हैक् में से 443/1771 हिस्सा, खाता संख्या 136/121 की कुल 1.4150हैक् एवं चक 1 केएनएन के खाता संख्या 74/91 की कुल 0.6960हैक् व चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 130/26 की कुल 1.8650हैक् व चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 169/165 की कुल 12.1440हैक् में से 1/6 हिस्सा, व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 144/237 की कुल 0.5060हैक् में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकुमार पुत्र रतिराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि रामकुमार पुत्र रतिराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है रामकुमार पुत्र रतिराम का देहान्त हो चुका है रामकुमार पुत्र रतिराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो रामकुमार पुत्र रतिराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 135/122 की कुल 1.7710हैक् में से 443/1771 हिस्सा, खाता संख्या 136/121 की कुल 1.4150हैक् एवं चक 1 केएनएन के खाता संख्या 74/91 की कुल 0.6960हैक् व चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 130/26 की कुल 1.8650हैक् व चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 169/165 की कुल 12.1440हैक् में से 1/6 हिस्सा, व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 144/237 की कुल 0.5060हैक् में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकुमार पुत्र रतिराम के नाम से दर्ज है सभी खातों में रामकुमार का नाम कलमजान किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नौहरा (हुनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
कैम्प कोर्ट - फेफाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भजनलाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. भागवन्ती पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3. निर्मला पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4. रानी पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
6. कृष्णा पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 668 सन 2021 निर्णय दिनांक- 18.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 135/122 की कुल 1.7710हैक में से 443/1771 हिस्सा, खाता संख्या 136/121 की कुल 1.4150हैक एवं चक 1 केएनएन के खाता संख्या 74/91 की कुल 0.6960हैक व चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 130/26 की कुल 1.8650हैक व चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 169/165 की कुल 12.1440हैक में से 1/6 हिस्सा, व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 144/237 की कुल 0.5060हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकुमार पुत्र रतिराम के नाम से दर्ज है सभी खातों में रामकुमार का नाम कलमजून किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट- फेफाना